

नोटिस जारी कर प्रतावला विभाग को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
आसपुर

22/08
19

पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। पक्षकारान द्वारा राजीनामा आवत प्रपत्र प्रस्तुत किया। काड़ी की पहचान अधिवक्ता पन्डुवीर सिंह व प्रतिवादिगण समाज की पहचान अधिवक्ता अंबर सिंह द्वारा की गई।

प्रस्तुत राजीनामा प्रपत्र के अनुसार जमा करी संवत् 2067-2070 के ज्ञात सं. 45 में दर्ज केशवलाल पिता गोतिथा जो भूल से अंकित हो जाने व कालविक्रम गजेंद्र पिता गोतिथा मीणा संशोधन करने पर पक्षकारान को कोई आपत्ति नहीं होना / सहमति होना सिद्ध राजीनामा प्रपत्र प्रस्तुत किया है। राजीनामा तस्वीर किया गया।

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की ली राजीनामा के आधार पर काड़ी गजेंद्र मीणा पिता गोतिथा के जमा करी संवत् 2067-2070 के ज्ञात सं. 45 में अंकित केशवलाल पिता गोतिथा - 1/3 मालीया भालीया कान्तिराल भाणीया केशीया केशवलाल राजु भावरी सोकी पिता गोतिथा 1/3 के स्थान पर मालीया, आलीया कान्तिराल भाणीया, केशीया, गजेंद्र राजु भावरी, सोकी पिता गोतिथा 1/3 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने लक्ष्मीला कावला को आदेशा दिये जाते है।

पत्रावली कैलाल कुमार शेडर कुमार सेठमथ /

नि मालीया ①

नि आलीया ②

कान्तिराल
मीणा

केशीया मीणा

नि राजु

नि भावरी

नि काड़ी

21/8/19

प्रतिवादि पहचानकर्ता

कैलाल कुमार

SDO